इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 28, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 7360-438-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३४ सन् २०११

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.
८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
९. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.
१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
११. साधारण परिषद्.

१२. साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.
१३. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.
१४. साधारण परिषद् की शक्तियां.
१५. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
१६. कार्य परिषद्
१७. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.
१८. कार्य परिषद् की पदावधि.
१९. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद् का सम्मिलन.
२१. स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.
२२. विद्या परिषद्
२३. विद्या परिषद् की सदस्यता.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.
२५. विद्या परिषद् के सम्मिलन.
२६. संकायों का गठन.
२७. वित्त समिति.
२८. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
२९. कुलपति.
३०. प्रति कुलपति.
३१. विभागाध्यक्ष.
३२. कुल सचिव.
३३. चयन समिति.
३४. परिनियम.
३५. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३६. अध्यादेश.
३७. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३८. विनियम.
३९. पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.
४०. उपदान तथा पेंशन.
४१. विश्वविद्यालय की निधि.
४२. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
४३. वित्तीय प्राक्कलन.
४४. वार्षिक रिपोर्ट.
४५. संविदाओं का निष्पादन.
४६. उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना.
४७. सम्मानिक उपाधियां.
४८. उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण.
४९. सम्पत्ति का अन्तरण.
५०. रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
५१. प्रारंभ पर कठिनाईयों का दूर किया जाना.
५२. अस्थायी उपबन्ध.
५३. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
५४. संरक्षण.
५५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५६. असंबद्ध विश्वविद्यालय.
५७. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३४ सन् २०११

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११

[दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश राज्य में हिन्दी भाषा के विकास, हिन्दी माध्यम से ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए हिन्दी विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, अधिनियम, २०११ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद् '' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(घ) ''साधारण परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;

(ङ) '' प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;

(च) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(छ) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(ज) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय;

(झ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ञ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति.

विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति का अंतरण करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(४) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य, हिन्दी भाषा को अध्यापन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए तथा विज्ञान, साहित्य, कला, और अन्य विधाओं में उच्च स्तरीय गवेषणा के लिये शिक्षण का माध्यम बनाना है. उपरोक्त उद्देश्यों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(एक) विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन और अन्य विधाओं के अध्ययन और गवेषणा को प्रोन्नत करना, संकलित करना और संरक्षित करना;

(दो) हिन्दी भाषा में शिक्षा और ज्ञान को प्रोन्नत करना और उसका प्रसार करना और इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए अन्य भाषाओं से अनुवाद करना, प्रकाशन, दृश्य और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और रोजगार कौशल का उपयोग संचालित करना;

(तीन) हिन्दी भाषा के ज्ञान को प्रोन्नत करने के लिए अभिभाषणों, सेमीनारों, परिसंवादों, अधिवेशनों का आयोजन करना;

(चार) विभिन्न विधाओं में शिक्षण तथा प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना, जैसा कि विश्वविद्यालय ठीक समझे और गवेषणा कार्य किए जाने का इंतजाम करना;

(पांच) सभी धर्मों और मुख्य प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के अध्ययन तथा गवेषणा कार्य को प्रोत्साहित करना;

(छह) परीक्षा संचालित करना और मानद उपाधियां और अन्य विशिष्टियां प्रदान करना;

(सात) ऐसे समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने में आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों.

अधिकारिता.

५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा:

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, उसके अध्यापन या गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप को अंशत: या पूर्णत: चलाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य से बाहर या विदेश में की किसी संस्था के साथ सहयोग के लिये अनुमति दे सकेगी.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:— **विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.**

(एक) विश्वविद्यालय की गवेषणा, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित किए गए केन्द्रों तथा संस्थाओं का प्रशासन एवं प्रबंध करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक हैं;

(दो) नूतन विषय पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उनके अध्ययन का तथा अध्यापन और अध्ययन के प्रभावी तरीकों का प्रबंध करना;

(तीन) हिन्दी और हिन्दी भाषा के ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण हेतु उपबंध करना और गवेषणा के लिए और हिन्दी के ज्ञान के विकास तथा प्रसार के लिये उपबंध करना;

(चार) सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं पर गवेषणा कार्य को प्रायोजित करना तथा हाथ में लेना;

(पांच) उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;

(छह) बहिर्वर्ती शिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;

(सात) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्ही उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(आठ) परिनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(नौ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(दस) छात्र निवास (हॉल) तथा छात्रावास स्थापित करना तथा बनाए रखना और विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के स्थानों को मान्यता देना और निवास के किसी ऐसे स्थान को दी गई मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(ग्यारह) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या गवेषणा पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;

(चौदह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बंद करना;

(सोलह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, हिन्दी में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा और सहायक विषयों के संबंध में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबंध करना;

(अठारह) ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(उन्नीस) कोई ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;

(बीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, तथा जो विश्वविद्यालय के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनका अन्यथा व्ययन करना;

(इक्कीस) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट), विनिमय पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण तथा प्रतिगृहित करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, बट्टा (डिस्काउंट) देना और परक्रामण (नैगोशिएट) करना;

(बाईस) जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अपेक्षित सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण पत्र, बंधक, पट्टे तथा करार निष्पादित करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसका कोई कामकाज करने या उपर्युक्त खण्ड (अठारह), (उन्नीस), (बीस) तथा (इक्कीस) के अधीन विश्वविद्यालय के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करना;

(चौबीस) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई करार करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना, और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौंपी गई निधि, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान का, समय-समय पर, अंतर्विनिमय (ट्रान्सपोज) करना;

(सत्ताईस) ऐसे विनियम बनाना, जो समय-समय पर, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना, उपांतरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;

(अट्ठाईस) विद्या संबंधी, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, पेंशन, बीमा और उपदान जैसा कि वह उचित समझे, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये ऐसा अनुदान देना, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और कन्वेयंस के स्थापित किये जाने में सहायता करना और उनका समर्थन करना, जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिये आशयित हों;

(उन्तीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

८. (१) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यताप्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य-विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

स्पष्टीकरण.— उपधारा (१) में, ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् साथ ही कार्य परिषद् के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था में, शिक्षण के लिये और गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों.

९. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा. **विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.**

(२) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निदेश दे. विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी विभाग का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाए.

(३) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए.

(४) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाधिपति के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा:

परन्तु जहां राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निरीक्षण की जांच की गई है, तो राज्य सरकार, कुलाधिपति द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जान सकेगी और कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.

(५) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी.

(६) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधन, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप से कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति, कार्यपरिषद् या प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गये किसी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबंधन इसका अनुपालन करेंगे.

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :— **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.**

(एक) साधारण परिषद् ;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) विद्या परिषद्;

(चार) वित्त समिति; और

(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

११. विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :— **साधारण परिषद्.**

एक—पदेन सदस्य

(एक) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ;

(दो) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री;

(चार) विश्वविद्यालय का कुलपति;

(पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(छह) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(सात) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(आठ) मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति (निजी विश्वविद्यालयों से भिन्न);

दो—नामनिर्दिष्ट सदस्य

(नौ) शिक्षा, संस्कृति, कला, सामाजिक कार्य, उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों का, प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा;

(दस) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात शिक्षाविद्, जिनमें से एक महिला होगी;

(ग्यारह) भाषा या साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सम्मानित कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती;

(बारह) मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अध्यापक/आचार्य में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा.

साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.

१२. (१) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री, साधारण परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

(२) उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री, साधारण परिषद् का उपाध्यक्ष (वाईस-चेयरमेन) होगा.

(३) विश्वविद्यालय का कुलपति, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

१३. (१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी.

(२) जहां साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि यथास्थिति, उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.

(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(४) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.

साधारण परिषद् की शक्तियां.

१४. साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) धारा ७ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई हैं, प्रयोग करना;

(दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;

(चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और

(पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.

साधारण परिषद् का सम्मिलन.

१५. (१) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी.

(२) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाए, तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी तब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलिन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

(६) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, सम्यक्‌रूप से संपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे.

कार्य परिषद्

१६. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध तथा नियंत्रण और उसकी आय, कार्य-परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.

कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.

१७. (१) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

(२) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) साधारण परिषद् के दो सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(पांच) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यापक, जो ज्येष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;

(छह) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो;

(सात) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति-दो विद्वान तथा किसी भी क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति, इन चार व्यक्तियों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा.

कार्यपरिषद् की पदावधि.

१८. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.

(२) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में, कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(३) जब तक कि कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा (१) या (२) में उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे.

(४) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा.

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

१९. धारा १४ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपरिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना:

परन्तु अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित किए जाएंगे;

(दो) समय-समय पर कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, आचार्य और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्य, जैसा कि आवश्यक हो, विनियमों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना:

परन्तु—

(क) किसी अधिसंख्य पद (सुपरन्यूमेरेरी पोस्ट) पर, या

(ख) उच्च विद्या संबंधी विशिष्टता, विख्यात तथा कुशलता प्राप्त व्यक्ति की आचार्य के पद पर,

नियुक्ति करने के लिये कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगा;

(तीन) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(पांच) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;

(छह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वियन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की, जो कि किसी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, उनकी व्यथाएं ग्रहण करना, उन्हें न्यानिर्णीत करना और उन्हें दूर करना;

(नौ) विद्या परिषद् से परामर्श करके परीक्षक तथा अनुसीमक (माडरेटर) नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(दस) विश्वविद्यालय के लिये सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, सिवाय विनियम बनाने की शक्ति के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना;

(बारह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं; और

(तेरह) कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के इंतजाम करना तथा उनकी सेवा शर्तों का पूर्व निर्धारण करना तथा अस्थायी रिक्तियों को भरना.

कार्यपरिषद् का सम्मिलन.

२०. (१) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार मास में कम से कम एक बार होगा.

(२) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के किसी सम्मिलन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं, तो यथास्थिति कार्य परिषद् के अध्यक्ष का या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि कार्य परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो तो कुलपति कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्र के प्रचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार किये जाने की अनुमति दे सकेगा तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे सहमति न दी जाए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और कागज-पत्र कार्य परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष पुष्टिकरण के लिये रखे जाएंगे.

स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.

२१. (१) इस अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी.

(२) कार्य परिषद्, समितियों का गठन या नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचार्यों, अध्यापकों, हिन्दी के विद्वान व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और/या किसी विषय के अन्य विद्वान व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी दो से अधिक समितियों के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद् अन्य ऐसी समितियों या उप समितियों का भी गठन कर सकेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(४) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२२. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबंधी समस्त मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दें.

विद्या परिषद् की सदस्यता.

२३. (१) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे विशेषज्ञ जो अन्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष, जो तीन से अधिक न हों, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाएं;

(चार) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो आचार्य, यदि कोई हों; और

(पांच) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द का एक सदस्य, जो सह-आचार्य और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हों:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त खण्ड (दो) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र नहीं होगा.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम विद्या परिषद् की अवधि पांच वर्ष होगी.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.

२४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्योजित किया जाए, रिपोर्ट करना;